

## कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक-जि0अ0/कोविड-19/एल-2/21-22 6444 to 6450 दिनांक-17.04.2021

### कार्यालय ज्ञाप

पूर्व में प्राप्त भारत सरकार के पत्र संख्या-एन0एच0एस0आर0सी0/20-21/ ई0डी0सेक0/कोविड-19/05 दिनांक 28.03.2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के आदेश संख्या-991/पॉच-5-2020 दिनांक 28 अप्रैल 2021 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एपिडेमिक एक्ट 1897 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 1897) की धारा-2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को जनपद बिजनौर हेतु "कोविड-19-एल-2 चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम	शैय्या की संख्या	वेंटिलेटर की संख्या
1	पुलकित मेमोरियल, बिजनौर	100	03
2	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस एण्ड हॉस्पिटल बिजनौर।	200	08

उक्त निजी चिकित्सालय 05 दिवस के अंदर चिकित्सालय को कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों (भर्ती रोगियों को डिस्चार्ज करने, अन्य चिकित्सालयों में स्थानान्तरित करने, चिकित्सालय परिसर को सैनिटाईज करने एवं कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार सम्बन्धी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता) के अनुसार तैयारियां पूर्ण कर लेंगे।

जिलाधिकारी  
बिजनौर।

पत्रांक-जि0अ0/कोविड-19/एल-2/21-22 6450

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर।
6. समस्त उप-जिलाधिकारी, बिजनौर।
7. डायरेक्टर, निजी चिकित्सालय उपरोक्तानुसार।

17.4.21.  
जिलाधिकारी  
बिजनौर।